



भारत सरकार

Government of India

केन्द्रीय जल आयोग

Central Water Commission

सिक्किम अन्वेषण मंडल

Sikkim Investigation Division

तादोंग, गान्तोक (सिक्किम)

Tadong, Gangtok (Sikkim)-737 102

Telefax : (03592)

271059

231887

Email:

sidgangtok_cwc@

yahoo.in



संख्या-सि.अ.मं./मुख्यालय-10/2011-12/ 2197-2201,

दिनांक-07.09.2011

वार्षिक दर अनुबंध के लिए कोटेशन आमंत्रण सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिकृत एजेंसियों / फर्मों से वार्षिक दर अनुबंध के आधार पर Original HP Make Cartridges एवं Original Ricoh Make Toners की आपूर्ति हेतु नीचे दिए गए नियम व शर्तों पर दिनांक - 20.09.2011 के अपराह्न 3.00 बजे तक मुहरबंद "कोटेशन"(दरें) आमंत्रित की जाती हैं। कोटेशन उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे कोटेशनर अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में (यदि इच्छुक हों) खोली जाएंगी :-

क्रम सं०	विवरण	Cartridge No.	दर (रूपये में)
1.	HP LaserJet printer(2200D)	Toner C-4096 A	
2.	HP office jet all in one(V 40)	Black HP15	
3.	HP office jet all in one(V 40)	Colour HP-78	
4.	HP DeskJet printer all in one (6110)	Black HP -56	
5.	HP DeskJet printer all in one (6110)	Colour HP -57	
6.	HP Colour printer (2550) Ln all in one	Black Q -3960 A	
7.	HP Colour printer (2550) Ln all in one	Magenta Q 3973A	
8.	HP Colour printer Ln (2550) Ln all in one	Cyan Q- 3971A	
9.	HP Colour printer (2550) Ln all in one	Yellow Q 3972A	
10.	HP Colour LaserJet printer Ln (2550)	LN-Q 3964 A (Imaging Drum)	
11.	HP DeskJet printer (9300)	Black HP -45	


अगले पृष्ठ पर जारी...

पिछले पृष्ठ से जारी....

12.	HP DeskJet printer (9300)	Colour HP- 78	
13.	HP DeskJet plotter (450c)	Black HP- 40	
14.	HP DeskJet plotter (450c)	Yellow Colour-HP-44	
15.	HP Deskjet plotter (450c)	Blue Colour HP-44 (Cyan)	
16.	HP Deskjet plotter (450c)	HP-44 Magenta Colour	
17.	Laserjet printer 1007	CC-388 A	

नियम एवं शर्तें :-

1. दरें आपूर्ति स्थल यथा: अधिशासी अभियंता का कार्यालय, सिक्किम अन्वेषण मंडल, केन्द्रीय जल आयोग, तादोंग, गान्तोक (सिक्किम)-737102 पर सामाग्रियों की आपूर्ति में होने वाले सभी प्रकार के प्रभार जैसे; पैकिंग, किराया, बीमा (यदि कोई हो) को सम्मिलित करते हुए उद्धरित (Quote) की जानी होगी ।
2. उद्धरित दरें समझौते (Agreement) की तिथि से एक साल तक वैध होंगी ।
3. दरों का उद्धरण शब्द तथा अंक दोनों में किया जाना होगा ।
4. उद्धरित दरें सभी करों से युक्त होनी चाहिए ।
5. सामाग्रियों की अंकित मात्रा आपूर्ति आदेश के वक्त घट या बढ़ सकती है ।
6. सामाग्री को दोषयुक्त पाये जाने पर एजेन्सी / फर्म द्वारा उसे वापस लिया जाना होगा तथा उसके बदले में दोषमुक्त सामाग्री की आपूर्ति करनी होगी ।
7. अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा । भुगतान भारतीय स्टेट बैंक पर आहरित चेक / ड्राफ्ट द्वारा सामानों की आपूर्ति संतुष्टीजनक एवं सही हालत में करने तथा इस संबंध में बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करने के पश्चात किया जाएगा ।
8. कोटेशन को पूर्ण अथवा आंशिक रूप में बिना कारण बताए अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा ।
9. कोटेशन निहित लिफाफे पर मोटे अक्षरों में NIQ संख्या तथा खोलने की तारीख अंकित होनी चाहिए ।


(राजेश कुमार)

अधिशासी अभियंता

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं सूचनापट्ट हेतु:-

1. अधीक्षण अभियंता (सम०), तिस्ता बेसिन संगठन, केन्द्रीय जल आयोग, सिलिगुडी ।
2. अधीक्षण अभियंता, अन्वेषण परिमण्डल, केन्द्रीय जल आयोग, गंगटोक ।
3. निदेशक, सॉफ्टवेयर प्रबन्धन निदेशालय, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को केन्द्रीय जल आयोग वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ । इसे उनके ई-मेल:smdte@nic.in पर भी भेज दिया गया है ।
4. लेखा शाखा, सिक्किम अन्वेषण मण्डल, केन्द्रीय जल आयोग, गंगटोक ।
5. सचना पट्ट. सिक्किम अन्वेषण मंडल. के.ज.आ.. गान्तोक ।